बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी)

-:: कार्यालय आदेश ::-

का०आ०सं० 856 /
सं०सं०-*BRDS/HR/123/2020*

पटना, दिनांक 13/06/2025

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (BRDS) कार्यकारिणी समिति की 19वीं बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में BRDS अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों / पदाधिकारियों के स्थानांतरण नीति का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है:-

1. **जिला स्तरीय पद** यथा-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला वित्त प्रबंधक, जिला अंकेक्षण प्रबंधक, जिला सहायक वित्त प्रबंधक, जिला सहायक अंकेक्षण प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, लेखा सहायक एवं अंकेक्षण सहायक एवं **प्रखण्ड स्तरीय पद** यथा-कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता को यथासंभव प्रत्येक 03 वर्ष के उपरांत एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण किया जायेगा |
2. पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत तकनीकी सहायक का अंतर जिला स्थानांतरण उनके अनुरोध पर अथवा अनुशासनिक आधार पर किया जायेगा, परन्तु जिला स्तर से भी 3 वर्ष के उपरान्त अंतर स्थानांतरण किया जा सकेगा । किसी भी परिस्थिति में इनका पदस्थापन गृह प्रखंड में नहीं किया जायेगा |
3. लेखापाल एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का यथासंभव प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त अंतर जिला स्थानांतरण किया जायेगा, परन्तु कर्मी के अनुरोध अथवा अनुशासनिक आधार पर 5 वर्ष के पूर्व में भी अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकेगा ।
4. अंतर जिला स्थानांतरण हेतु मनरेगा कर्मियों से Online 05 विकल्प प्राप्त किया जायेगा | प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों /कर्मियों को Online 05 विकल्प भरते समय प्रत्येक जिला का एक प्राथमिकता प्रखंड भरने का विकल्प रहेगा |
5. मनरेगा कर्मियों का स्थानांतरण सामान्यतया जून माह में आयुक्त, मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO), BRDS से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा | परन्तु विशेष परिस्थिति में सचिव/प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष, BRDS की अनुमति से अन्य माह में भी स्थानांतरण किया जा सकेगा |
6. प्रखंड स्तरीय कर्मियों यथा-कार्यक्रम पदाधिकारी(PO), कनीय अभियन्ता (JE), लेखापाल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्यालय से ही प्रखंड स्थानांतरण/पदस्थापन सुनिश्चित किया जायेगा |
7. जिला स्तर पर मनरेगा कर्मियों का अन्तर प्रखंड स्थानांतरण आयुक्त, मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO), BRDS से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा |
8. उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
    a. प्रत्येक संवर्ग का जिलों मे संतुलन कायम करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिलों में जिला स्तर पर स्वीकृत पदों एवं प्रखण्ड/पंचायत स्तर के पदों के लिए प्रखण्डों/पंचायतों की संख्या के विरुद्ध पदस्थापित कर्मियों का प्रतिशत राज्य स्तर पर कार्यरत कर्मियों के प्रतिशत के अनुरूप रखने का प्रयास किया जायेगा ।

b. सभी पदों के लिए सर्वप्रथम दिव्यांगों को विकल्प में प्रथम प्राथमिकता देते हुए स्थानांतरित जिला का निर्धारण किया जायेगा | विशेष परिस्थिति में इनको गृह जिला अथवा वर्तमान पदस्थापन जिला में भी रखा जा सकेगा | किसी भी परिस्थिति में इनका पदस्थापन गृह प्रखंड में नहीं किया जायेगा |

c. तदोपरान्त सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी यथा-Spouse Ground के आधार पर विकल्प में दूसरी प्राथमिकता देते हुये इनका स्थानांतरण जिला का निर्धारण किया जायेगा।

d. कनीय अभियंता/ पंचायत तकनीकी सहायक/ कम्प्यूटर ऑपरेटर/ लेखा सहायक/ अंकेक्षण सहायक/ पंचायत रोजगार सेवक के मामले में महिला कर्मियों को गृह जिला में भी पदस्थापन किया जा सकेगा | किसी भी परिस्थिति में इनका पदस्थापन गृह प्रखंड में नहीं किया जायेगा |

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा | पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाये |

13/6/25

(अभिलाषा कुमारी शर्मा)
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

<u>प्रतिलिपि :</u>

1. BRDS के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/ सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई-गवर्नेंस एवं आई.टी,BRDS को BRDS वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।